छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर – 492001

क्रमांक एफ 1–1/2003/1–7, रायपुर, दिनांक 11 मार्च, 2010

प्रति,

1. **शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, रायपुर ।

2. **अध्यक्ष**
राजस्व मंडल, बिलासपुर छ0ग0 ।

3. **समस्त संभागीय आयुक्त,**
छत्तीसगढ़ ।

4. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
छत्तीसगढ़ ।

5. **समस्त कलेक्टर,**
छत्तीसगढ़ ।

विषयः– मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को अंतिम रूप से आंबटित राज्य स्तरीय शासकीय सेवकों के आपसी अंतर्राज्यीय पारस्परिक स्थानांतरण ।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 31.07.2008 ।

––00––

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 68(2) के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अंतिम राज्य आबंटन के आदेश जारी किये गये, इसके पश्चात दोनों राज्यों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों के कारण आपसी स्थानांतरण के आवेदन/प्रस्ताव विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए । कर्मचारियों की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14/279/2002 एस.आर.(एस) दिनांक 1.5.2003 में दिये गये निर्देशों के पालन में मध्यप्रदेश शासन से सहमति पश्चात भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आबंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 29.04.2005 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 20.05.2005 को जारी किये गये, जिसकी अवधि समय–समय पर बढ़ाई गई एवं अंतिम बार दिनांक 28.04.2009 तक बढ़ाई गई थी ।

2/ दोनों राज्यों की सहमति उपरांत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के पारिवारिक कारणों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य की सेवा के राज्य स्तरीय संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी यदि आपसी अदला बदली चाहते है तो दोनों राज्यों के प्रशासकीय विभाग की सहमति उपरांत छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से दिनांक 30 जून 2010 तक कैडर स्थानांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी । उक्त अवधि के पश्चात राज्य स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ए0के0 टोप्पो)
अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1–1/2003/1–7, रायपुर, दिनांक 11 मार्च, 2010

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, खान मार्केट, नई दिल्ली,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ 1–17/2004/4(2)रापुप्र, दिनांक 02.03.2010 के संदर्भ में,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर,
5. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
8. माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव के निज सचिव/निज सहायक,
9. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ रायपुर,
10. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, रायपुर/राजनांदगांव से निवेदन है कि कृपया असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर 50 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें,
11. एन.आई.सी. मंत्रालय, रायपुर की ओर वेबसाईट www.cg.Nic.in/gad पर इन्द्राज हेतु प्रेषित ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित ।

अतिरिक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग